राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39/2025	16.05.2025	07.10.2025

बउनवान

1. प्रभूनाथ पुत्र भोर्या, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. प्यारेलाल पुत्र भोर्या, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
3. ईश्वरलाल पुत्र भोर्या नाथ, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
4. रामचरण पुत्र भोर्या नाथ, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र रामजीलाल, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. केशा पत्नी रामसिंह, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. खत्या देवी पत्नी रामेश्वर, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. गुड्डी देवी पुत्री शिवलाल, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. जगदीश पुत्र शिवलाल, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. प्रह्लाद पुत्र शिवलाल, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. मगन पुत्र रामसिंह, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. सन्तरा बाई पुत्री रामसिंह, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. हीरादेवी पुत्री शिवलाल, निवासी रानापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात के खसरा सं. 126 रकबा 0.91 हैक्टे., 131 रकबा 0.44 हैक्टे., 132 रकबा 0.01 हैक्टे., 133 रकबा 0.45 हैक्टे., 134 रकबा 0.07 हैक्टे. ग्राम रानापाडा, पटवार हल्का रानापाडा तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात में वर्णित आराजी माफी मंदिर की खातेदारी में दर्ज है किन्तु सायलान ही मंदिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं तथा मंदिर व मूर्ति में आस्था रखते हैं। इसलिए विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा विगत 70 वर्षों से चला आ रहा है। सायलान द्वारा उक्त विवादित आराजी में कृषि यंत्र रखने व चारा आदि रखने के लिये पुख्ता निर्माण भी कर रखा है जिसमें सायलान ने बिजली कनेक्शन ले रखा है जिससे गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध व लेना देना नहीं है। गैरसायलान बहुत चतुर चालाक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

एवं बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो कि विवादित आराजी में नुमाईशी तौर पर दर्ज खातेदारी का नाजायज लाभ उठाकर आराजी को पूर्व में विक्रय कर चुके है तथा भविष्य में भी विक्रय करने पर आमादा है। सायलान दिनांक 10.05.2025 को अपने कब्जेशुदा आराजी पर थे कि गैरसायलान मौके पर आये तथा सायलान को कहने लगे कि इस जमीन की खातेदारी में हमारा भी नाम दर्ज है। इसलिये हम इस जमीन को लट्ठ वाले व्यक्यिों को विक्रय करेगें जो सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेगें तथा आपको बेदखल कर देगा। हमने इस जमीन में से पहले भी कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया है जबकि सायलान का किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त भूमि मंदिर माफी की जमीन है जिस पर एक मात्र सायलान ही भूमि के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है। विनाय दावा दिनांक 10.05.2025 को गैरसायलान संख्या 1 लगायत 9 द्वारा उक्त आराजी करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर सायलान द्वारा कहने पर भी नहीं मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिये जाने से बमुकाम रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में पैदा हुआ हैं जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वो अपनी कुचेष्ठा में सफल हो जावेगें जिससे सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत मदाखलत बैजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से ही करावे। निर्माण कार्य नहीं नहीं करें और ना ही विवादित आराजी को रहन मुन्तकिल या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करै। मौका एव राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और ना ही किसी अन्य से करावे। इस हेतु पाबंद रहे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विवादित आराजीयात माफ़ी मन्दिर की भूमि होने के कारण एकपक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने तहसीलदार बैजूपाड़ा के द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष विवादित आराजीयात की जमाबन्दी में से अप्रार्थीगण का तथा पुजारी का नाम हजफ किये जाने व पुनः माफ़ी मन्दिर श्री दाऊजी महाराज विराजमान साकिन देह मानपुर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के लिये प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात के वर्तमान में प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्थायी निषेधाज्ञा के वादपत्र में अनुतोष प्राप्त करने के लिये वादी का खातेदार होना आवश्यक होता है किन्तु इस वाद पत्र में वादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार नहीं है। इस कारण सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)